

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

**दिनांक 07 फरवरी 2012 को माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जी (श्री सिंधिया)
की अध्यक्षता में वाणिज्य विभाग की हिंदी सलाहकार समिति की आयोजित बैठक से
संबंधित कार्यवृत्त : अनुवर्ती कार्रवाई ।**

क्रं.सं.	मद/लिए गए निर्णय	संस्थान में स्थिति / संस्कृति
1	विभाग के सभी कार्यालयों द्वारा "क", "ख", "ग" क्षेत्र स्थित कार्यालयों एवं गैर-सरकारी व्यक्तियों से हिंदी पत्राचार क्रमशः 75% , 65% , 60% सुनिश्चित किया जाए ।	लागू नहीं – संस्थान से संबंधित नहीं पाए जाने से कोई कार्रवाई नहीं की गई है ।
2	वाणिज्य विभाग की वेबसाइट के द्विभाषीकरण का वर्तमान प्रतिशत 70% से बढ़ाकर 90% किया जाए ।	संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई हेतु निर्देश दे दिए गए हैं ।
3	विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में हिंदी के रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित कार्रवाई की जाए ।	संस्थान में हिंदी का कोई रिक्त पद नहीं है ।
4	विभाग तथा सभी कार्यालयों के गलियारों एवं अधिकारियों के कक्षों में हिंदी के प्रयोग से संबंधित प्रेरक वाक्य स्लोगन युक्त पटिटकाएं लगवाई जाएँ ।	अधिकांश प्रेरक वाक्य/स्लोगन युक्त पटिटकाएं लगी हुई हैं तथा इस प्रकार की पटिटकाएं और भी तैयार करवाई जा रही हैं ।
5	अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रत्येक तिमाही में कार्यशाला आयोजित की जाए ।	प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं ।
6	वाणिज्य विभाग के नियंत्रणाधीन वस्तु बोर्डों में हिंदी पदों के वेतनमान में एकरूपता लाई जाए ।	संस्थान में हिंदी पदों के वेतनमान में पहले से ही एकरूपता है ।
7	राजभाषा विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 11/20015/03/2011—रा.भा समिति में उल्लिखित बिदुओं का अनुपालन हिंदी सलाहकार समिति की आगामी बैठक में आवश्यक रूप से किया जाए ।	संस्थान के संदर्भ में लागू नहीं है ।

अध्यक्ष, राजभाषा विभागीय कार्यालय समिति (भारतीय विदेश व्यापार संस्थान) द्वारा अनुमोदित ।

(एस.के.वर्मा)
प्रशासनिक अधि.(हिंदी)